NDOH 10-10-2023

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PB AT NEW DELHI
IN
O.A. NO. 341 OF 2022

IN THE MATTER OF:

Deepak Awasthi ...APPLICANT

VERSUS

State Of U P ...RESPONDENTS

INDEX

SL. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Response of Kanpur Nagar Nigam , In compliance of order of Hon'ble Tribunal dated 28.8.2023	2 to 8
2.	**ANNEXURE R4/1** A copy of order dated 28.8.2023 passed by Hon'ble Tribunal in OA 341/2023	9 to 10
3.	**ANNEXURE R/2 colly** Copy of reports received from NGO regarding garbage removal.	11 to 12
4.	**ANNEXURE R/3** . A copy of GO dated 4.9.2020 regarding Flood Plane .	13 to 17
5.	**ANNEXURE R/4** Copy of letter dated 25.9.2023 sent to KDA	18
6.	**ANNEXURE R/5** Copy of letter dated 9.10.2023 sent to Irrigation Department, Kanpur.	19
7.	**ANNEXURE R/6** Photo graph of Rani Ghat area	20 to 21
8.	**ANNEXURE R4/7** Photo graph of Tiwari Ghat area	22 to 23
9.	**ANNEXURE R4/8** Photograps of Rameshwar Ghat.	24 to 25
10.	**ANNEXURE R4/9**	

Environment Engineer
Kanpur Nagar Nigam
Mail : knnengg2@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PB AT NEW DELHI
IN
O.A. NO. 341 OF 2022

IN THE MATTER OF:

Deepak Awasthi ...APPLICANT

VERSUS

State Of U P ...RESPONDENTS

RESPONSE OF KANPUR NAGAR NIGAM TO THE JOINT INSPECTION REPORT DATED 10.8.2022.

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. The issue raised in a letter petition is in respect of illegal settlement of a Sarjupurba colony at downstream of Ranighat on the flood plain of River Ganga in Kanpur, Uttar Pradesh and discharge of garbage, polythene, sewage, etc. in the river Ganga in under consideration before this Hon'ble Tribunal in OA No 341/2022.

2. That Upon consideration of the matter, this Hon'ble Tribunal was pleased to direct vide order dated 17.5.2022 to obtain factual and action taken report from a Joint Committee comprising of representatives of Additional Chief Secretary, Urban Development, Government of Uttar Pradesh, State Unit of National Mission for Clean Ganga, State PCB and District Magistrate, Kanpur. State PCB was directed to be the Nodal agency for coordination and compliance.

3. That the joint inspection report based on inspection on 20.7.2022 was filed In compliance order dated 17.5.2022 by UPPCB by email dated 16.08.2022. Upon hearing the matter and upon being informed during hearing that O.A No. 200/2014 titled as M.C Mehta Vs. Union of India &Ors. relating to prevention, control and

abatement of pollution in river Ganga and compliance with directions already issued, is pending before the Court no. 1 of the Principal Bench of this Tribunal and the same is fixed for hearing on 14.10.2022. The present application also involves the similar issues.

In view of above, Hon'ble Tribunal was pleased to direct that the present application be listed before Court No. 1 of the Principal Bench of this Tribunalwith O.A No. 200/2014 titled as M.C Mehta Vs. Union of India &Ors. on the date fixed i.e. 14.10.2022.

4. That upon hearing the matter on 28.8.2023, Hon'ble Tribunal was pleased to interalia pass following order

> " ....
>
> 2.In terms of the directions of this Tribunal dated 17.05.2022, the joint Committee has filed the report vide covering letter dated 10.08.2022 recording the following conclusion:
>
> "5.0. Conclusion:
>
> - The Urban Development Department may be directed to identify and mark Buffer Zone around the 100 meter catchment areas. Constructions should be prohibited banned at 100 meter from the river flood bank.
> - The Construction of the Ganga River flood bank/dyke all must be completed by the executive department and authorized agency in a time bound manner.
> - Proper disposal of the solid waste generated from the colony near around the Ghata's should be done by the executive organization Nagar Nigam-Kanpur in a time bound manner.

- The construction of unfinished/incomplete RCC drain around the Ghat's should be done by the executing department in a time bound manner.

- There is a need to take sealing action by the authorized department against the illegal new construction located within 100 meters around the river flood zone."

3. Let notice be issued to the Secretary, Urban Development Department, State of Uttar Pradesh and Commissioner, Municipal Corporation, Kanpur for filing response to the above joint inspection report."

...

A copy of order dated 28.8.2023 passed by Hon'ble Tribunal in OA 341/2023 is enclosed herewith as **Annexure R/1.**

5. That in compliance of the order of Hon'ble Tribunal dated 28.8.2023, the following point wise report in respect of joint committee report is submitted on behalf of Kanpur Nagar Nigam :

6. (a) **General** ;

That the Area of Rani Ghat, Rameshwar Ghat, Tiwari Ghat and Bari Ghat etc fall on city side of the bund constructed from Ganga barrage to Rani Ghat Irrigation Deptt of U P Govt. On other side of barrage flows river Ganga. In about 30 m stretch near Rani Ghat the bundha is not constructed. In this area pumping station under operation of maintenance by UP Jal Nigam exists.

The solid waste/ garbage from the area under reference is being collected from door to door by an NGO named Deekshant through

three vehicles deputed in the area. Garbage dump of 4.5 cum capacity near Rameshwar Ghat and for 1.1 cum each has been kept near Rani Ghat and Bari Ghat for collection of garbage. Two number3 cum capacity each vehicles and wheel burrows are also deputed by Health wing of Nagar Nigam for daily garbage collection from the area. Gargabe/ Solid waste collection has been improved in the area. During last one year the garbage collection in the area has increased from 18.33 MT/month to about 29.00 MT/ month through efforts made by the NGO Deekshant and the Nagar Nigam. Letter written to the NGO and reports received by Nagar Nigam from the NGO are enclosed herewith as **Annexure R/2 colly**.

Flood planezone of river ganga in area under consideration in the present application and other areas has already been notified by Govt of UP. A copy of GO dated 4.9.2020 is enclosed as **Annexure R/3.** Kanpur Nagar Nigam has no role in removal of encroachments within flood zone. In other areas, Kanpur Development Authority is the agency to sanction building plans and also to take action against any unauthorised construction.

A copy of order of Hon'ble NGT dated 28.8.2023 has been sent to Secretary, Kanpur Development Authority . Copy of letter dated 25.9.2023 is enclosed as **Annexure R/4.** Copy of letter sent to Executive Engineer Barrage Khand, Irrigation department, Kanpur along with copy of order dated 28.8.2023 is enclosed as **Annexure R/5.**

(b) **Rani Ghat:**

Rani Ghat draincarrying about 1.8 mld sewage is partially tapped in to 130.00 Mld STP at Jajmau through Pumping station near Irrigation bund at Rani Ghat under Namami Gange Project by UP Jal

Nigam. The tapping of drain fully is proposed in I & D revised project submitted for sanction to NMCG in March 2023 through SMCG by UP Jal Nigam (Rural) after incorporating suggestions of NMCG. Bio remediation of drain was stopped during rainy season and presently bio remediation is being carried out. It is pertinent to mention that the test report for drain effluent shows that the discharge is meeting prescribed standard except being slightly higher for coliform. Efforts are being made to keep the effluent quality with in prescribed limits.

The garbage from the area is now being regularly collected. Photo graph of Rani Ghat area showing ghat is enclosed as **Annexure R/6.**

Kanpur Nagar Nigam has no role in removal of encroachments from within / outside the flood plane area.

(c) **Bari Ghat**

The construction of drain of size o.6m x 0.75 m from Bari ghat to Rani Ghat pumping station in in progress. The same is targeted to be completed by 30-11-2023. Work of incomplete drain observed in the area by joint committee of size 0.60 m x 0.75 m has been completed.

Small drains in the area are cleaned to remove garbage dumped in to the open drains. Garbage is being removed from the area on daily basis.

Kanpur Nagar Nigam has no role in removal of encroachments from within / outside the flood plane area.

(d) **Tiwari Ghat**

The drain found clogged during inspection has been got cleaned of garbage. Regular cleaning of drain is being done.

The garbage from the area is now being regularly collected.

The garbage from the area is now being regularly collected. Photo graph of Tiwari Ghat area showing ghat is enclosed as **Annexure R/7.**

Kanpur Nagar Nigam has no role in removal of encroachments from within / outside the flood plane area.

(e) **Rameshwar Ghat**

Parmiya drain carrying 6.8 mld discharged has been tapped in to cluster of STP at Jajmau by UP Jal Nigam under Namami Gange Project. Finding of joint committee regarding closing of weir was brought to knowledge of UP Jal Nigam.

Construction of 45.00 mtr. drain at Rameshwar ghat is in under progress. It will be completed before 30-Nov.2023.

The bank of river ganga where garbage was found littered by joint committee has been cleaned. Garbage is being regularly removed from the banks of the river. The garbage from the area is now being regularly collected. Photo graph of Rani Ghat area showing ghat is enclosed as **Annexure R/8.**

Kanpur Nagar Nigam has no role in removal of encroachments from within / outside the flood plane area.

7. That Kanpur Nagar Nigam is making sincere efforts to keep the area clean by removing garbage on daily basis through departmental efforts and through the efforts of NGO Deekshant Sanstha E cart have also been procured to collect garbage from narrow lanes in the area.

8. That the work on construction of still unfinished drain from Barighat to Ranighat is in progress and it is expected to be completed by 30-November-2023.

Environment Engineer
Kanpur Nagar Nigam
For Respondent No 2

DATED: 13 .10.2023

Item No. 10 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 341/2022

Deepak Awasthi Applicant

Versus

State of U.P Respondent

Date of hearing: 28.08.2023

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON**
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

ORDER

1. The issue raised in this letter petition is in respect of illegal settlement of a Sarjupurba colony at downstream of Ranighat on the flood plain of River Ganga in Kanpur, Uttar Pradesh and discharge of garbage, polythene, sewage, etc. in the river Ganga.

2. In terms of the directions of this Tribunal dated 17.05.2022, the joint Committee has filed the report vide covering letter dated 10.08.2022 recording the following conclusion:

"5.0. Conclusion:

- *The Urban Development Department may be directed to identify and mark Buffer Zone around the 100 meter catchment areas. Constructions should be prohibited banned at 100 meter from the river flood bank.*
- *The Construction of the Ganga River flood bank/dyke all must be completed by the executive department and authorized agency in a time bound manner.*
- *Proper disposal of the solid waste generated from the colony near around the Ghata's should be done by the executive organization Nagar Nigam-Kanpur in a time bound manner.*
- *The construction of unfinished/incomplete RCC drain around the Ghat's should be done by the executing department in a time bound manner.*
- *There is a need to take sealing action by the authorized department against the illegal new construction located within 100 meters around the river flood zone."*

3. Let notice be issued to the Secretary, Urban Development Department, State of Uttar Pradesh and Commissioner, Municipal Corporation, Kanpur for filing response to the above joint inspection report.

4. List on 16.10.2023.

Prakash Shrivastava, CP

Sudhir Agarwal, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

August 28, 2023
Original Application No. 341/2022
DV

ANNEXURE R/2

DIKSHANK SANSTHA
ABHAV MITAO DESH BADHAO

Web: www.dikshank.org
E-mail- query@dikshank.org
Twitter- @dikshankngo
Facebook-facebook.com/dikshankgo
Instagram - dikshank_ngo

11

Ref. No.....122/D2D/22-23

Date....19/11/2022........

सेवा में,

पर्यावरण अभियन्ता,
नगर निगम, कानपुर

विषय:- आप द्वारा भेजे गए पत्रांक संख्या डी/920/एन०जी०टी०/22-23 दिनांकित 16/11/22 के सन्दर्भ में।

महोदय,

आप द्वारा भेजे गए पत्रांक संख्या डी/920/एन०जी०टी०/22-23 रानी घाट से रामेश्वर घाट की तरफ डाले जा रहे कूड़े के रोकथाम हेतु जो प्रभावी कदम संस्था की तरफ से उठाए जा रहे है वे निम्नवत हैं-

1. घरों व व्यावसायिक स्थानों से दीक्षांक संस्था द्वारा डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रहण का कार्य अगस्त-2022 से निरन्तर किया जा रहा हैं।
2. डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रहण का कार्य रानी घाट, बारी घाट, तिवारी घाट, रामेश्वर घाट से लगभग 2600 घरों में से 1350 घरों से अपशिष्ट हमारी संस्था द्वारा लिया जा रहा हैं।
3. डोर टू डोर अपशिष्ट कलेक्शन का कार्य दिन में एक बार एवं सप्ताह में छ: बार किया जा रहा हैं।
4. विगत 03 माह में उक्त क्षेत्र से लगभग 55 टन अपशिष्ट संग्रहण डोर टू डोर के माध्यम से किया जा रहा हैं।
5. संस्था द्वारा एकत्रित किये गए अपशिष्ट को नजदीक स्थित ट्रान्सफर स्टेशन भैरो घाट पर निस्तारण हेतु भेज दिया जाता हैं।

महोदय आपको विशेष रूप से यह भी अवगत कराना हैं कि संस्था द्वारा नियमित रूप से डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रहण का कार्य किया जा रहा हैं, संस्था द्वारा उक्त कार्य में किसी भी प्रकार कि लापरवाही नहीं की जा रही हैं। कई आवासीय एवं व्यावसायिक स्थानों द्वारा यूज़र चार्ज के मासिक शुल्क से बचने हेतु अपशिष्ट गाड़ियों में नहीं दिया जाता हैं, ऐसे आवासीय एवं व्यावसायिक स्थान के नाम चिह्नित करके कानपुर नगर निगम के अधिकारियों, दीक्षांक संस्था एवं जन प्रतिनिधियों के सहयोग से पब्लिक को लगातार जागरूक किया जा रहा हैं। ऐसे स्थान जहाँ पर गाड़ियों द्वारा अपशिष्ट का संग्रहण नहीं हो पाता हैं वहाँ पर व्हीलवैरो एवं रिक्शा ट्राली के माध्यम से अपशिष्ट का उठान किया जा रहा हैं।

धन्यवाद

सचिव
DIKSHANK SANSTHA Secretary
Brijesh Yadav
दीक्षांक संस्था

प्रतिलिप-
नगर आयुक्त महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
मुख्य अभियन्ता महोदय को सादर सूचनार्थ।

12

DIKSHANK SANSTHA
ABHAV MITAO DESH BADHAO

Web: www.dikshank.org
E-mail- query@dikshank.org
Twitter- @dikshankngo
Facebook-facebook.com/dikshankgo
Instagram - dikshank_ngo

Ref. No. 361/D20/23-24 Date 13/09/2023

सेवा में,

पर्यावरण अभियन्ता,

नगर निगम, कानपुर

विषय:- आप द्वारा भेजे गए पत्रांक संख्या डी/1748/एन०जी०टी०/23-24 दिनांकित 11/09/23 के सन्दर्भ में |

महोदय,

आप द्वारा भेजे गए पत्रांक संख्या डी/1748/एन०जी०टी०/23-24 रानी घाट से रामेश्वर घाट की तरफ डाले जा रहे कूड़े के रोकथाम हेतु

1. घरों व व्यावसायिक स्थानों से दीक्षांक संस्था द्वारा डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रहण का कार्य अगस्त-2022 से निरन्तर किया जा रहा हैं |
2. डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रहण का कार्य रानी घाट, बारी घाट, तिवारी घाट, रामेश्वर घाट से लगभग 2600 घरों में से 1740 घरों से अपशिष्ट हमारी संस्था द्वारा लिया जा रहा हैं |
3. डोर टू डोर अपशिष्ट कलेक्शन का कार्य दिन में एक बार एवं सप्ताह में छ: बार किया जा रहा हैं |
4. विगत 03 माह में उक्त क्षेत्र से लगभग 87 टन अपशिष्ट संग्रहण डोर टू डोर के माध्यम से किया जा रहा हैं |
5. संस्था द्वारा एकत्रित किये गए अपशिष्ट को नजदीक स्थित ट्रान्सफर स्टेशन भैरो घाट पर निस्तारण हेतु भेज दिया जाता हैं |

महोदय आपको विशेष रूप से यह भी अवगत कराना हैं कि संस्था द्वारा नियमित रूप से डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रहण का कार्य किया जा रहा हैं, संस्था द्वारा उक्त कार्य में किसी भी प्रकार कि लापरवाही नहीं की जा रही हैं | कई आवासीय एवं व्यावसायिक स्थानों द्वारा यूज़र चार्ज के मासिक शुल्क से बचने हेतु अपशिष्ट गाड़ियों में नहीं दिया जाता हैं, ऐसे आवासीय एवं व्यावसायिक स्थान के नाम चिह्नित करके कानपुर नगर निगम के अधिकारियों, दीक्षांक संस्था एवं जन प्रतिनिधियों के सहयोग से पब्लिक को लगातार जागरूक किया जा रहा हैं | ऐसे स्थान जहाँ पर गाड़ियों द्वारा अपशिष्ट का संग्रहण नहीं हो पाता हैं वहाँ पर व्हीलवैरो एवं रिक्शा ट्राली के माध्यम से अपशिष्ट का उठान किया जा रहा हैं |

धन्यवाद

(Stamp: DIKSHANK SANSTHA, Secretary, KANPUR)
सचिव
दीक्षांक संस्था

प्रतिलिप-
नगर आयुक्त महोदय को सादर अवलोकनार्थ |
मुख्य अभियन्ता महोदय को सादर सूचनार्थ |

ANNEXURE R/3

13

महत्वपूर्ण

संख्या-164 /2020 /2031/20-27-सिं0-4-07(एन0जी0टी0) /16टी0सी0

प्रेषक,

अनिल गर्ग,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0, शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 04 सितम्बर, 2020

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 के अनुपालन में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट के क्रियान्वयन के क्रम में फ्लड प्लेन जोन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 एवं सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्रांक-1149/18-27-सिं0-3-52एल/18, दिनांक 17 अक्टूबर 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में दिनांक 13.07.2017 को पारित आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश के सीमान्तर्गत जनपद बिजनौर से उन्नाव, कानपुर तक गंगा नदी के दोनों किनारों से 100 मी0 तक किसी भी प्रकार के निर्माण, अतिक्रमण, व्यवसायिक गतिविधि, पट्टे, नीलामी, प्रदूषण करने वाली गतिविधियां एवं सभी गतिविधियों को रोके जाने हेतु उक्त क्षेत्र को "नो डेवलपमेंट/नो कंस्ट्रक्शन जोन" अधिसूचित किया गया था।

2. उक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 के पत्र संख्या-232/प्र0अ0/मु0अ0ज0सं0, दिनांक 06 अगस्त, 2020 द्वारा, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 के अनुपालन में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट के क्रियान्वयन के क्रम में फ्लड प्लेन जोन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में प्रदेश के 16 जनपदों को नो डेवलपमेन्ट जोन/रेग्यूलेटरी जोन के लांगीट्यूड/लैटिट्यूड एवं नो डेवलपमेन्ट जोन/रेग्यूलेटरी जोन अधिसूचित किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

3. इस सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 एवं सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्रांक-1149/18-27-सिं0-3-52एल/18, दिनांक 17 अक्टूबर 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में दिनांक 13.07.2017 को पारित आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश के सीमान्तर्गत जनपद बिजनौर से उन्नाव, कानपुर तक गंगा नदी के दोनों किनारों से 100 मी0 तक किसी भी प्रकार के निर्माण, अतिक्रमण, व्यवसायिक गतिविधि, पट्टे, नीलामी, प्रदूषण करने वाली गतिविधियां एवं सभी गतिविधियों को रोके जाने हेतु उक्त क्षेत्र को "नो डेवलपमेंट/नो कंस्ट्रक्शन जोन" अधिसूचित किया गया है।

15

(2)

गंगा नदी के किनारों में हो रहे अवैध निर्माण/अतिक्रमण को रोकने में सम्बन्धित विभागों का प्रभावी नियंत्रण न होने पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा विचाराधीन ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में दिनांक 13.07.2017 को पारित आदेश में निम्न निर्देश दिये गये हैः-

"Till the demarcation of the flood plains and identification of permissible and non-permissible activities by the state government of this judgment, we direct that 100 meters from the edge of the river would be treated as no development/construction zone in segment-B of Phase-I (Haridwar to Unnao, Kanpur)"

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा उक्त आदेश में सेगमेंट बी फेज-1 (हरिद्वार से उन्नाव, कानपुर) तक गंगा नदी के किनारों से 100 मी0 तक नो डेवलपमेंट/नो कंस्ट्रक्शन जोन बनाये जाने हेतु निर्देशित करते हुए सिंचाई विभाग, उ0प्र0 एवं नगर विकास विभाग को उपरोक्त कार्य के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है।

4. केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा विचाराधीन ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में फ्लड प्लेन जोन के चिन्हांकन के सम्बन्ध में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, जिसमें प्रदेश के सीमान्तर्गत जनपद बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, कांशीराम नगर, फरूर्खाबाद, कन्नौज, सम्भल, बदायूँ, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव एवं कानपुर में गंगा नदी के दोनों किनारों पर नो डेवलपमेंट जोन एवं रेग्यूलेटरी जोन के लांगीट्यूड एवं लैटिट्यूड उपलब्ध कराये गये हैं।

5. प्रदेश के सीमान्तर्गत निम्नलिखित जनपदों में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये लांगीट्यूड एवं लैटिट्यूड के आधार पर नो डेवलपमेंट एवं रेग्यूलेटरी जोन अधिसूचित किया जाना प्रस्तावित किया जाता हैः-

क्रमांक	जनपद	लांगीट्यूड एवं लैटिट्यूड
1.	बिजनौर	संलग्नक-1 (क) एवं 1 (ख)
2.	अमरोहा	संलग्नक-2 (क) एवं 2 (ख)
3.	मुजफ्फरनगर	संलग्नक-3 (क) एवं 3 (ख)
4.	मेरठ	संलग्नक-4 (क) एवं 4 (ख)
5.	हापुड़	संलग्नक-5 (क) एवं 5 (ख)
6.	बुलंदशहर	संलग्नक-6 (क) एवं 6 (ख)
7.	अलीगढ़	संलग्नक-7 (क) एवं 7 (ख)
8.	काशीराम नगर	संलग्नक-8 (क) एवं 8 (ख)
9.	फरूर्खाबाद	संलग्नक-9 (क) एवं 9 (ख)
10.	कन्नौज	संलग्नक-10 (क) एवं 10 (ख)
11.	सम्भल	संलग्नक-11 (क) एवं 11 (ख)
12.	बदायूँ	संलग्नक-12 (क) एवं 12 (ख)
13.	शाहजहांपुर	संलग्नक-13 (क) एवं 13 (ख)
14.	हरदोई	संलग्नक-14 (क) एवं 14 (ख)
15.	उन्नाव	संलग्नक-15 (क) एवं 15 (ख)
16.	कानपुर	संलग्नक-16 (क) एवं 16 (ख)

उपर्युक्त (क) में जनपद के नो डेवलपमेंट जोन के लांगीट्यूड एवं लैटिट्यूड दर्शाये गये हैं तथा (ख) में जनपद के रेग्यूलेटरी जोन के लांगीट्यूड एवं लैटिट्यूड दर्शाये गये हैं।

6. जनपद के सिंचाई विभाग उ0प्र0 के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (बाढ़ खण्ड) एवं जिन जनपदों में अधिशासी अभियन्ता (बाढ़ खण्ड) पदस्थापित नहीं हैं, वहां पर अधिशासी अभियन्ता (नोडल) के द्वारा नो डेवलपमेंट जोन एवं रेग्यूलेटरी जोन नक्शे पर एवं कार्यस्थल पर चिन्हित कराया जायेगा।

(3)

7. केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट के आधार पर नो डेवलपमेंटजोन में निम्न प्रकार की गतिविधियां ही अनुमन्य होंगीः–

(i) अस्थाई निर्माण- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की पूर्व अनुमति के उपरान्त दैविक/प्राकृतिक आपदा या धार्मिक/सांस्कृतिक आयोजनों हेतु अस्थाई निर्माण कार्य।

(ii) एम0ओ0इ0एफ0 एण्ड सी0सी0 की गाइड लाइन्स के तहत नियंत्रित बालू/पत्थर/बजरी/ रिवर बेड मैटेरियल का खनन।

(iii) जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति के उपरान्त संरक्षित स्मारक, मन्दिर, बोटिंग जेटीज, पार्क, घाट एवं शमशानघाट का अनुरक्षण एवं पुनरोद्धार।

(iv) जैविक खेती।

(v) स्थानीय पेड़ों/पौधों का व्यवसायिक गतिविधियों हेतु पौधारोपण।

(vi) बाढ़ कटाव एवं नियंत्रण, रिवर वाटर वे की डिसिल्टिंग।

(vii) क्षतिग्रस्त बंधों की मरम्मत एवं पुनरोद्धार/अनुरक्षण।

(viii) नदी के किनारे सांस्कृतिक/धार्मिक व अन्य सामान्य प्रयोजनों हेतु कच्चे रास्तों का निर्माण।

(ix) जल परिवहन, जल क्रीड़ा एवं नैविगेशन से सम्बन्धित गतिविधियां।

(x) नदी जल के भण्डारण, डायवर्जन एवं अन्य प्रयोजनों हेतु हाइड्रोलिक अभियांत्रिक संरचनायें।

(xi) सभी मौजूदा स्थायी/अस्थायी आवासीय व्यवसायिक/औद्योगिक व अन्य प्रयोजनों हेतु पूर्व निर्मित संरचनायें, जिनको राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त नदी के प्रवाह में अवरोध एवं प्रदूषण के प्राविधानों पैरा-6(3) जल संसाधन मंत्रालय नदी विकास एवं गंगा जीर्णोद्धार के अधिसूचना सं0-एस0ओ0-3187(इ), दिनांक 7 अक्टूबर 2016 (समय-समय पर संशोधित) के आधार पर अनुमन्य संरचनायें।

उक्त जोन को फ्लड प्लेन जोन के रूप में ही संरक्षित किया जायेगा एवं अन्य सभी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से बन्द या विस्थापित किया जायेगा।

8. केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट के आधार पर रेग्यूलेटरी जोन में निम्न गतिविधियां अनुमन्य होंगी।

(i) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चिन्हित रेड श्रेणी के उद्योग प्रतिबन्धित रहेंगे।

(ii) उत्तर प्रदेश आवास विकास/शहरी विकास/नगर पालिका/ग्रामीण विकास परिषद द्वारा अनुमन्य आवासीय/व्यवसायिक/संस्थागत/स्कूल/उपचार केन्द्र का निर्माण, जिनका प्लिंथ लेविल फ्लड लाइन के ऊपर हो एवं छत अथवा प्रथम तल का लेविल 100 वर्ष के बाढ़ के लेविल से ऊपर हो तथा छत अथवा प्रथम तल पर जाने हेतु सीढ़ियों का रास्ता हो, का निर्माण कार्य।

(iii) नदी जल के भण्डारण, डायवर्जन एवं अन्य प्रयोजनों हेतु हाइड्रोलिक अभियांत्रिक संरचनायें।

(iv) प्रदूषण मुक्त घरेलू उद्योग।

(v) पुलों, सड़कों व अन्य सामान्य सुविधाओं का निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण।

(vi) जल मार्ग सुविधा के कार्य।

(vii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा अनुमन्य ग्रीन एवं ओरेंज श्रेणी के उद्योग।

(viii) जल क्रीड़ा एवं जल परिवहन से सम्बन्धित गतिविधियां।

(ix) स्टोन क्रसिंग प्लांट।

उक्त जोन को रेग्यूलेटरी जोन के रूप में ही संरक्षित किया जायेगा एवं अन्य सभी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से बन्द या विस्थापित किया जायेगा।

9. ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व में चल रही गतिविधियों/नई गतिविधियों या अतिक्रमण की स्थिति में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से शासनादेशों में निहित प्राविधानों के तहत प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। शहरी क्षेत्रों में अतिक्रमण की स्थिति में सम्बन्धित नगर पालिका/नगर विकास विभाग/नगर निगम/विकास प्राधिकरण द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

16

(4)

10. जिलाधिकारी स्तर पर नो डेवलपमेंट/रेग्यूलेटरी जोन की निगरानी के लिए प्रत्येक माह बैठक आहूत की जायेगी। विभागाध्यक्ष स्तर पर भी प्रत्येक माह इस सम्बन्ध में बैठक आहूत कर उक्त बिन्दुओं पर चर्चा/परिचर्चा करते हुए सुस्पष्ट आख्या शासन को उपलब्ध करायेंगे तथा किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को रोकने/हटवाने के लिए सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

11. आर0बी0ओ0 एक्ट, यू0पी0 अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट एक्ट-1973 तथा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट-1976 के अन्तर्गत नो डेवलपमेंट/रेग्यूलेटरी जोन में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य हेतु कोई अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं दिया जायेगा, और न ही भू-मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा। उक्त प्रकार के अवैध निर्माण को रोकने हेतु उक्त अधिनियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

12. ऐसे क्षेत्र जो बिन्दु सं0-(6), (7) एवं (10) मे अच्छादित नहीं हैं, उसमें औचित्य पाये जाने पर नार्दन इण्डिया कैनाल एवं ड्रेनेज एक्ट-1873 की धारा-55 के अन्तर्गत क्षेत्रों को अधिसूचित करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से बिन्दु सं0-08 में उल्लिखित एजेंसियों द्वारा अपने-अपने कार्य क्षेत्र में अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जायेगी साथ ही सी0आर0पी0सी0 की धाराओं में भी समानान्तर कार्यवाही की जाये।

13. जिलाधिकारी द्वारा यू0पी0 फ्लड इमरजेंसी पावर (एक्वीजीशन एवं रिक्वीजीशन) एक्ट 1991 का प्रभावी प्रयोग किया जाये।

14. सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा नदियों के नो डेवलपमेंट/रेग्यूलेटरी जोन में अवैध निर्माणकर्ताओं को सचेत किया जाये कि वह अपने अवैध निर्माण को तुरन्त हटा लें। यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि अवैध निर्माण के कारण बाढ़ से होने वाली क्षति की कोई प्रतिपूर्ति शासन द्वारा नहीं की जायेगी तथा बाढ़ सुरक्षा कार्य नहीं कराये जायेंगे, साथ ही अवैध निर्माण से होने वाली क्षति की वसूली अवैध निर्माणकर्ताओं से की जायेगी। अवैध निर्माण/अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाने का प्रयास किया जाये। यदि स्वेच्छा से न हटाया जाये तो उपरोक्त प्रस्तर (10) तथा (11) की विधिक व्यवस्थाओं के अधीन कार्यवाही की जाये। सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों/औद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं नगर पालिका परिषदों द्वारा अधिनियम में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अवैध निर्माणकारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाये।

15. सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित थानाध्यक्षों के माध्यम से नो डेवलपमेंट/रेग्यूलेटरी जोन में अवैध निर्माण/अतिक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

16. सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण की स्थिति उत्पन्न होते ही पुलिस एवं जिला प्रशासन के द्वारा बलपूर्वक हटाये जाने की व्यवस्था नो डेवलपमेंट/रेग्यूलेटरी जोन में भी कड़ाई से अनुपालन कराया जाये।

17. नो डेवलपमेंट/रेग्यूलेटरी जोन में अतिक्रमण/अवैध निर्माण हटाये जाने हेतु अपेक्षित कार्यवाही न करने पर सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।

18. अतिक्रमणकारियों/अवैध निर्माणकर्ता को राशन कार्ड, बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन आदि राजकीय सुविधायें उपलब्ध न कराई जायें।

19. प्रकरण में विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 के दिनांक 06.08.2020 के उपरोक्त प्रस्तावानुसार मा0 एन0जी0 टी0 के आदेशों के अनुपालन में उ0प्र0 की सीमान्तर्गत जनपद बिजनौर से उन्नाव, कानपुर तक गंगा नदी के दोनों किनारों से अंकित लांगीट्यूड एवं लैटिट्यूड तक नो डेवलपमेन्ट/नो कन्स्ट्रक्शन जोन अधिसूचित किये जाने की अधिसूचना निर्गत करते हुए अधिसूचित जोन में किसी भी प्रकार के निर्माण/अतिक्रमण को रोकने हेतु उपर्युक्त उल्लिखित सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा यथापेक्षित कार्यवाही की जायेगी।

20. उक्त शासनादेश पूर्व में सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 द्वारा शासनादेश संख्या-1149/18-27-सिं0-3-52एल/18, दिनांक 17 अक्टूबर, 2018 को अतिक्रमित करते हुए तद्नुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्गत किया जा रहा है।

21. उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

अनिल गर्ग
सचिव।

17

(5)

संख्या-164/2020/2031(1)/20-27-सिं0-4 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अध्यक्ष राजस्व परिषद, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।
8. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, लखनऊ।
9. प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 एवं प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10. संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
11. संबंधित जनपद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
12. संबंधित जनपद के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, उ0प्र0।
13. संबंधित जनपद के प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका, उ0प्र0।
14. संबंधित क्षेत्र के नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अध्यक्ष, उ0प्र0।
15. समस्त विनियमित क्षेत्रों के नियत प्राधिकारी, उ0प्र0।
16. संबंधित क्षेत्र के अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
17. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना प्रदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए स्थानीय दूरदर्शन पर समाचार के माध्यम से प्रसारित कराने का कष्ट करें।
18. सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 को उपर्युक्त प्रस्तर-9 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।
19. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के समस्त अनुभाग।
20. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

मुश्ताक अहमद
विशेष सचिव।

(ANNEXURE R/4

18

प्रेषक,

अपर नगर आयुक्त,
नगर निगम,
कानपुर।

सेवा में,

सचिव,
कानपुर विकास प्राधिकरण,
कानपुर।

पत्रांक–डी/1788/न0आ0/प्रो/23–24

दिनांक– 25-09-2023

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–341/2022 दीपक अवस्थी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.08.2023 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया संयुक्त सचिव, नगर विकास अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन लखनऊ के उक्त विषयांकित पत्र संख्या–एनजीटी–193/नौ–5–2023–23रिट/2022, दिनांक 30 अगस्त, 2023 का संदर्भ ग्रहण करनें का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)। जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–341/2022 दीपक अवस्थी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.08.2023 (प्रति संलग्न) के अनुपालन में समस्त वांछित कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन को तत्काल उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

तत्क्रम में अवगत कराना है कि उक्त संदर्भित वाद में दिनांक 28.08.2023 को सुनवाई के दौरान मा0 एन0जी0टी0 द्वारा प्रस्तर–2 के –
अंश में –"**5.0. Conclusion:**

- **The Urban development Department may be directed to identify and mark Buffer Zone around the 100 meter catchment areas. Constructions should be probibited banned at 100 meter from the river flood bank."**

संबंधी आदेश पारित किये गये हैं, जिसमें आगामी सुनवाई की तिथि दिनांक 16.10.2023 नियत है।

तत्क्रम में अवगत कराना है कि वाद के अर्न्तगत मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उक्त आदेश का अनुपालन कानपुर विकास प्राधिकरण में निहित है अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया तदनुक्रम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन की स्थिति नियत तिथि से पूर्व मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष प्रस्तुत करनें एवं तदनुसार अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :यथोपरि।

25.9.23
अपर नगर आयुक्त
नगर निगम कानपुर।

प्रतिलिपि:
1. उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर महोदय को सूचनार्थ।

25.9.23
अपर नगर आयुक्त
नगर निगम कानपुर।

(ANNEXURE-R/5

15

कार्यालय अधिशाषी अभियंता (प्रोजेक्ट)
नगर निगम कानपुर।

पत्रांक–डी/1806 /अधि0अभि0/प्रो/23–24 दिनांक–09-10-23

अधिशाषी अभियंता,
बैराज खण्ड,
सिंचाई विभाग,
कानपुर ।

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–341/2022 दीपक अवस्थी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.08.2023 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, नगर विकास अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन लखनऊ के संलग्न पत्र संख्या–एनजीटी–201/नौ–5–2023–23रिट/2022, दिनांक 04 सितम्बर, 2023 का संदर्भ लें, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–341/2022 दीपक अवस्थी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.08.2023 (प्रति संलग्न) के अनुपालन में समस्त वांछित कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन को तत्काल उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

तत्क्रम में आपसे अनुरोध है कि उक्त संदर्भित वाद में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 28.08.2023 को पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए तद्नुसार अनुपालन आख्या शासन एंव अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ज्ञातव्य हो कि उक्त प्रकरण में आगामी सुनवाई की तिथि दिनांक 16.10.2023 नियत है, अतएव व्यक्तिगत ध्यान/शीर्ष प्राथमिकता के साथ ससमय कार्यवाही करते हुए शासन/अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :यथोपरि।

अधिशाषी अभियंता (पर्यावरण)
नगर निगम कानपुर

प्रतिलिपिः
1. नगर आयुक्त महोदय को सादर संज्ञनार्थ।
2. मुख्य अभियंता को सादर सूचनार्थ ।

Received

अधिशाषी अभियंता (पर्यावरण)
नगर निगम कानपुर

ANNEXURE-R/4

20

रानी घाट

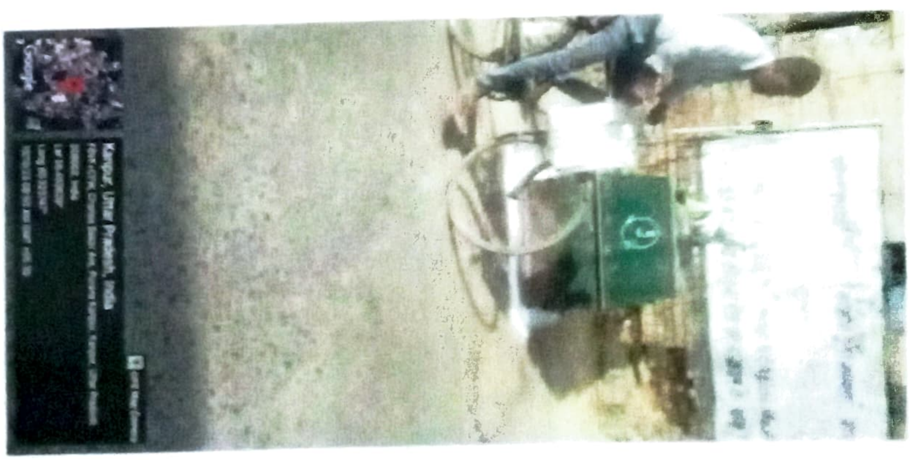

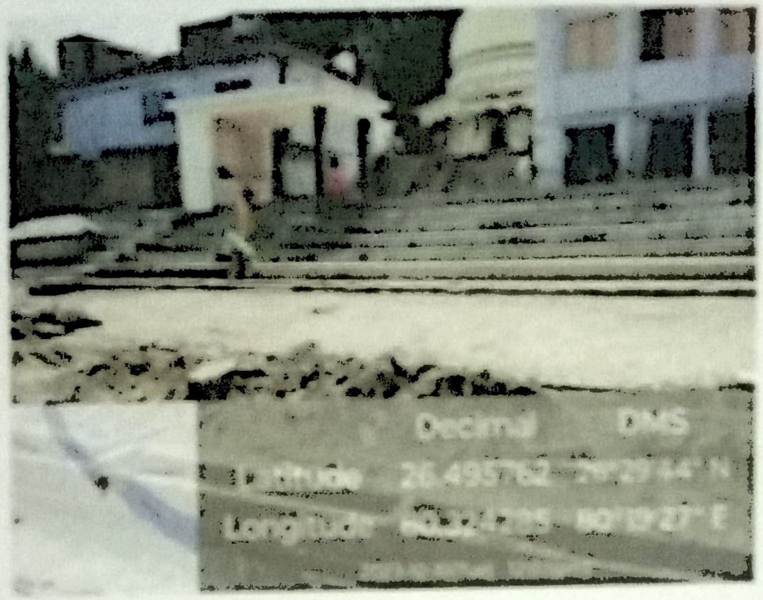
Decimal
DMS
Latitude 26.495762
Longitude

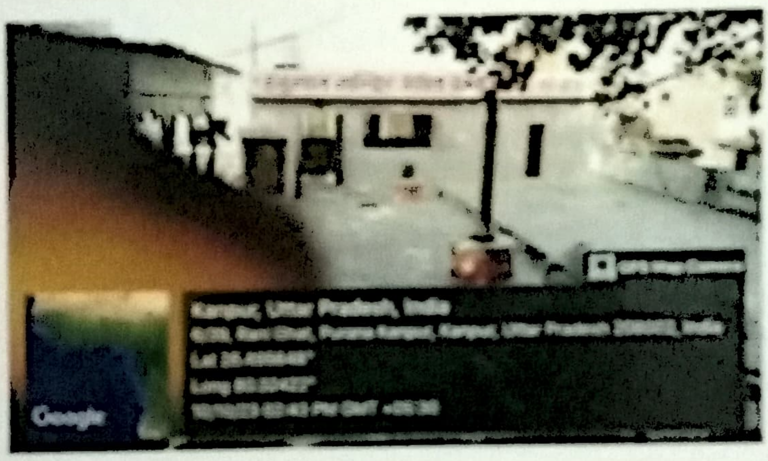
Kanpur, Uttar Pradesh, India
Google

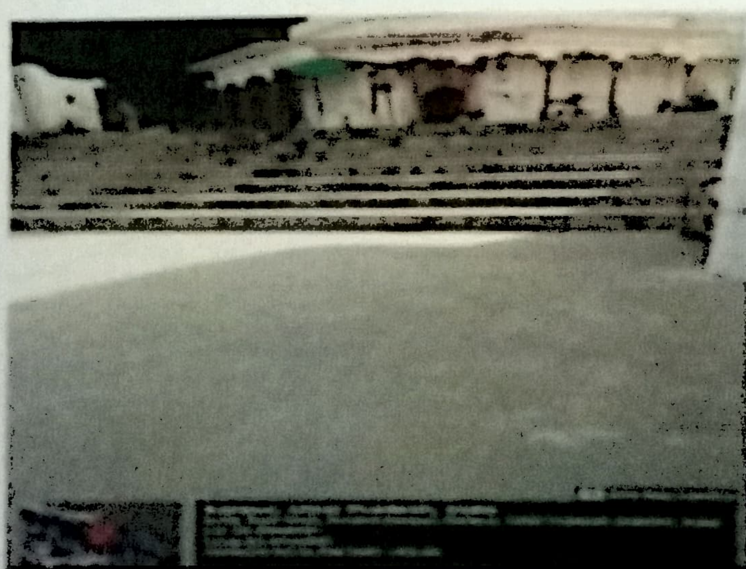

ANNEXURE - R/7

22 -

तिवारी घाट

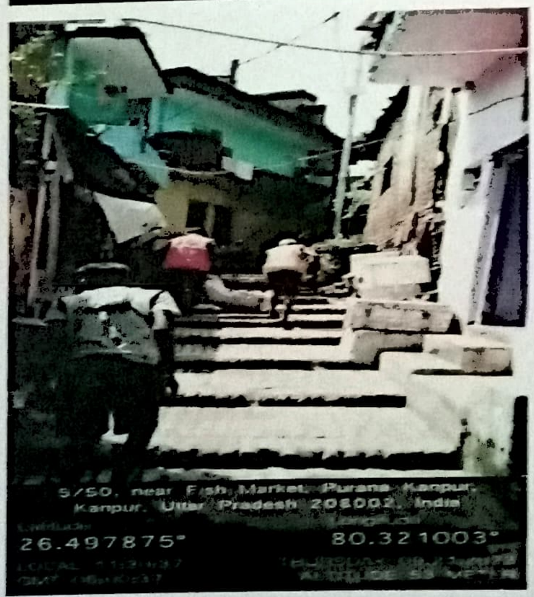

सैनेटरी एवं फूड इंस्पेक्टर
वार्ड नं०.................
नगर निगम, कानपुर

जो० एस० ओ०
जोन-
नगर निगम

ANNEXURE - R4/8

रामेश्वर घाट

२५

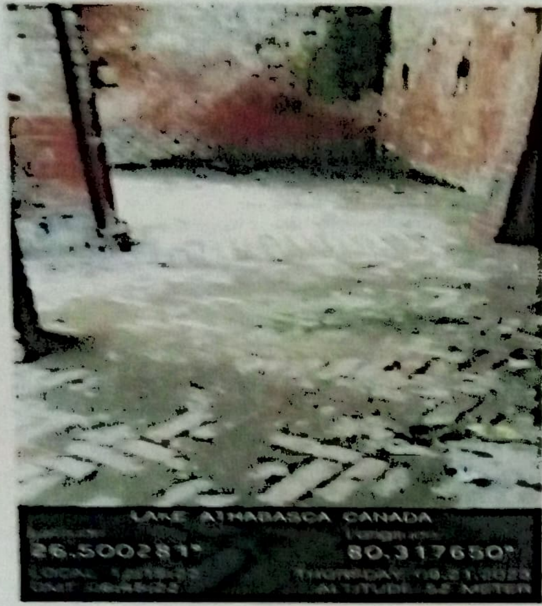

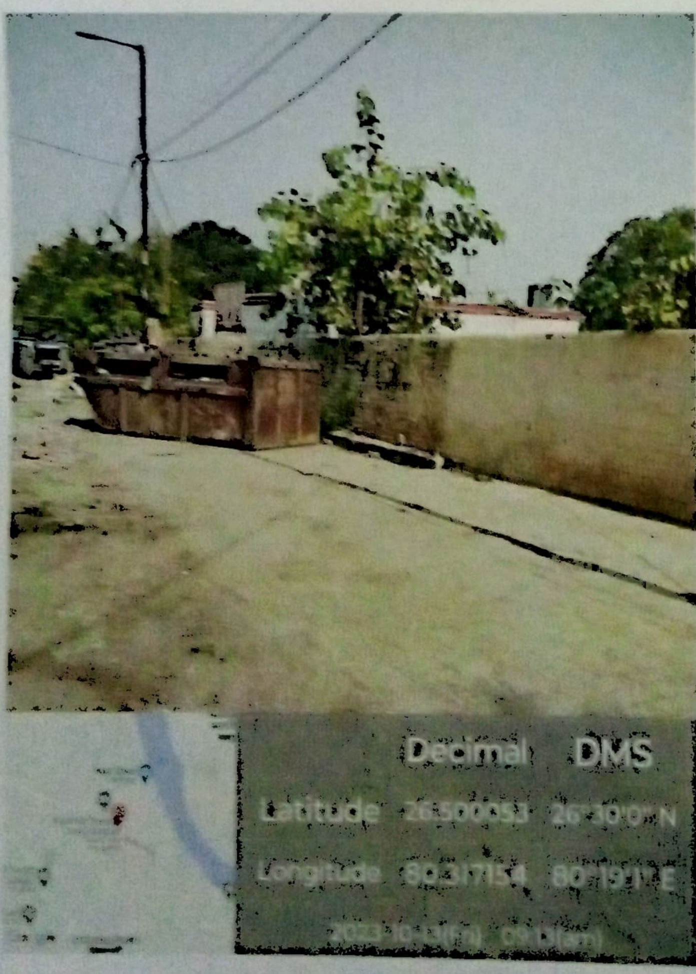

25

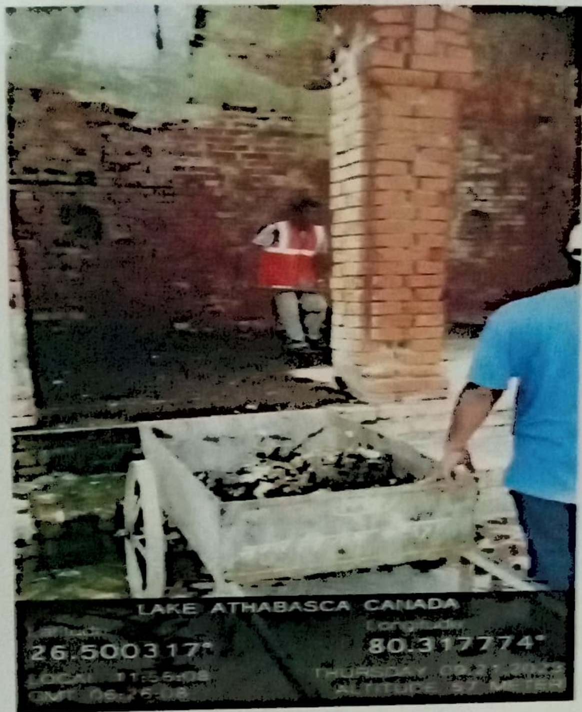

सैनेटरी एवं फूड इन्स्पेक्टर
वार्ड सं0 ____________
नगर निगम, कानपुर

जोनल स्वास्थ्य अधि0
जोन-
नगर निगम, कानपुर